


29

11/25

पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्षकारान उपस्थित । हमने बहस वकील फरीकेन सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । वकील प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पूर्व आदेशिकाओं के अनुसार 17.12.2019 से पर्याप्त अवसर एवं दिनांक 3.3.2020 को अन्तिम अवसर के पश्चात भी कई अवसर प्रदान करने तथा पुनः 15.6.2022 को अन्तिम अवसर के पश्चात भी 11.7.2022 तक जवाबदावा पेश नहीं किया गया एवं दिनांक 14.7.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 धारा 151 सीपीसी पेश कर वाद को अनावश्यक रूप से लम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया जो 16.11.2022 को खारिज किया जाकर पत्रावली में जवाबदावा बन्द किया गया । तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई । वकील प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस जवाबदावा पेश किया जिसे रेकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है । निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो



उपस्रण्ड अधिकारी
झालावाड़